श्यामलीलाल v/s रामगोपाल 2024/313

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/05/25	पत्रावली पेश। वकुलाप उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने फर्द दस्तावेज किता-1 मय नक्शा पेश किया, शामिल मिसल हो। प्रार्थना पत्र O1 R10 CPC पर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 30/05/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
	30/05/25	पत्रावली पेश। वकुलाप उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की पूर्व बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 CPC न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित उनवान पेश होने एवं बहस T.I. हेतु दिनांक 06/06/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
	06/06/25	पत्रावली पेश। वकुलाप उपस्थित। प्रकरण में संशोधित उनवान पेश होकर शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र T.I. पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अधिवक्ता की बहस पर मनन पश्चात् हम पाते है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 286 रकबा 5.3362 है० वाके ग्राम सिन्दौली प.ह० सिन्दौली तह० बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 9 व 12 लगायत 15 अपने-अपने हिस्से काबिज होकर काश्त करते चले होना दलील होता है उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा करवाने हेतु मूल दावा विचाराधीन है अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन मूल दावा के निस्तारण तक वादी/प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को वादी की कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया प्रथम दृष्टया प्रकरण सह खातेदारी भूमि में दर्ज रिकार्ड होकर काबिज काश्त होने से प्रकरण उभय पक्षों के हक में सिद्ध होता है आराजी मुतनाजा के संयुक्त रूप से [illegible] खातेदार काश्तकार होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्षों के हक में सिद्ध होता है चूंकि विवादित आराजी का अभी तक	

रामजीलाल v/s रामगोपाल 2024/313

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से

विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मूल दावा विभाजन का है, निस्तारण से शेष है। यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द-बुर्द किया जाता है तो दोनों पक्षों को अपूरणीय क्षति होना संभावित है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित रहेगा।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct तार्फैसला मूल दावा स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम सिन्दौली स्थित आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 5.3312 है० के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं उभयपक्ष एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करे।

यह निर्णय आज दिनांक 06/06/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (जिला जयपुर)